कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांकः–156 दे0क्षे0 / पे0पा0अ0 दे0क्षे0 / 2022 दिनांकः–07/1/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी

जनपद बलरामपुर।

विषयः–उतरौला–अयोध्या–प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्र संख्या–484 / आयुध लिपिक(अना0प्र0प्र0) / 2021दिनांक–13.12.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–146 / 114कामबी–गो0वृ0 / 2021–22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा उतरौला–अयोध्या–प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या / संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प उतरौला–अयोध्या–प्रयागराज मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0–5, चैनेज 4.200 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर स्थित ग्राम इमिलिया बनघुसरा, तहसील उतरौला व जनपद बलरामपुर में स्थित गाटा संख्या–325 के आशिंक भाग पर मेसर्स भातर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 22.86मीटर(75फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर0सी0सी0 पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 हयूम पाइप / आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी / मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प राज्य मार्ग के आबादी भाग पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है अतः शासनादेश के अनुसार Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण कराये जाने हेतु शिथलीकरण किया जा रहा है किन्तु शासनादेश के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग के दोनो ओर मानचित्र के अनुसार 13.00मी0 रेडीयस का कर्व दिया जाना आवश्यक है।
7. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू–स्वामित्व होने, संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।

6/5/22

अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
प्रादेशिक प्रबंधक / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited

—PTO—

10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधि शासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बलरामपुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट / मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. **यह एन0ओ0सी0 प्राविजनल है** अन्तिम एन0ओ0सी0 अनुमोदित ड्राइंग एवं लागू प्रतिबन्धों / दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराने के 6 माह के अन्दर आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्रदान की जा सकेंगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0 / एन0एच0 / 33023 / 19 / 99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या–17974एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 60 एम0टी0 / 1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882 / 23–12–19–1365 / 17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री पुनीत वर्मा पुत्र श्री शिवाकान्त वर्मा, निवासी ग्राम इमिलिया बनघुसरा तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई / स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य आबादी क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" के ऐपेन्डिक्स–III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100 / –(आयल कम्पनी / पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ऑयल कम्पनी का होगा।

संलग्नकः– मानचित्र मूल में।

7/1/22

(अम्बिका सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

07/1/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–146 / 114कामबी–गो0वृ0 / 2021–22 दिनांक 07.01.2022 के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।

6/5/22
अजय सी0 रूगे / Ajay C Ruge
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल) / Territory Manager (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / Bharat Petroleum Corporation Limited

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

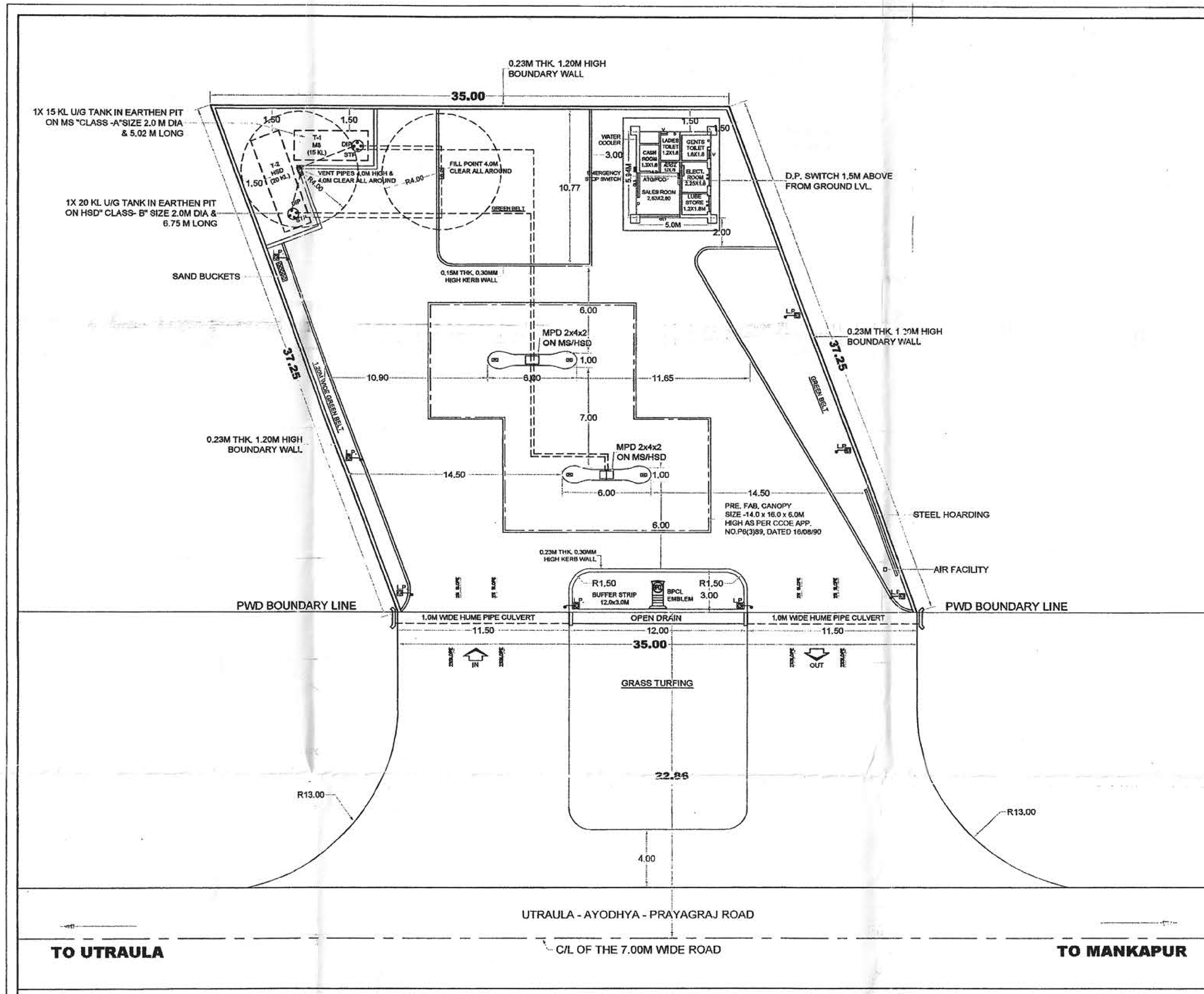

LAYOUT PLAN

SCALE - 1:200

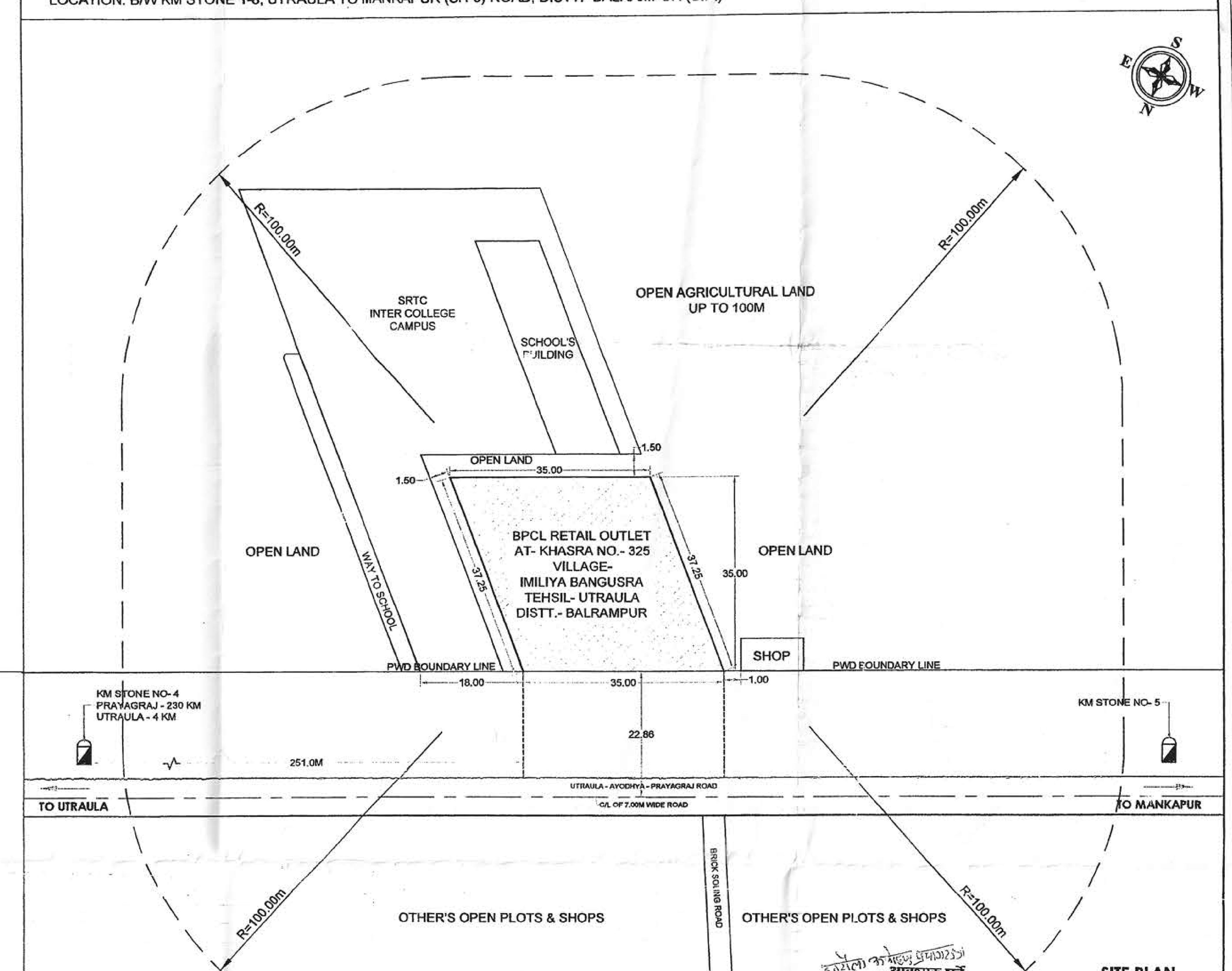

SITE PLAN

SCALE - 1:600

आवश्यक शर्तें

1 प्रस्तावित निर्माण (UFA) के किमी० 5 चैनेज ... कि०मी० के बीच मार्ग के मध्य सेन्टर से 22.86 मी० (75 फीट) की दूरी तक की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

2 प्रस्तावित मार्ग तक पहुंच मार्ग एवं सड़क के पानी निकासी हेतु चौकोर नाली एवं 1.00 मीटर स्थान की पुलिया का निर्माण स्वामी को स्वयं अपने व्यय से अन्य निर्माण कार्य कराने से पूर्व कराना होगा।

3. प्रस्तावित निर्माण कुर्सी तल, मार्ग की सतह से 30 से०मी० नीचा होना चाहिए।

4. निर्माण स्थल के सामने व मुख्य मार्ग के [illegible] भूमि पर कोई कम्पनी आदि का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल नहीं लगाये जायेंगे।

5. निर्माण स्थल पर पानी का बहाव मार्ग की दिशा से नहीं होगा।

6 प्रस्तावित निर्माण कार्य [illegible] के अनुरूप है [illegible] तथा आई०आर०सी० पब्लिकेशन का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

7 भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा।

8 लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि, जो पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग के रूप में उपयोगी होगी, उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उत्तर प्रदेश सरकार का ही रहने सम्बन्धी लीज एग्रीमेन्ट भी निर्धारित प्रारूप में भू-स्वामी को लोक निर्माण विभाग को देना होगा।

9 उपरोक्त शर्तों के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के [illegible] का प्रमाण-पत्र भू-स्वामी द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

10. प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष तक न होने पर पुनः एक वर्ष के बाद भू-स्वामी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

11. IN एवं EXIT हेतु SIGN BOARD इस प्रकार लगाये जायें कि वाहनों को स्पष्ट दिखायी दें।

12. उपरोक्त सभी निर्देशों अथवा एक भी निर्देश एवं एम०ओ०एस०टी० के डाकूमेन्ट्स का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार के हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरुद्ध कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

13. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण [illegible] क्षेत्र में स्थापित होगा।

14. प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो [illegible] प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

15. [illegible] हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

16. उ० प्र० लो० नि० वि० अनुभाग-12 का शासनादेश संख्या-1882/23 एम०टी०/सामान्य वर्ग/40 एम०टी०-23-12-19-1386/17 टी०सी० दिनांक 04-12-2019 के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] पर ग्राम/मो० [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] खाता संख्या 325 के आंशिक भाग पर बाध्यकारी होगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बलरामपुर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
बलरामपुर

अधीक्षण अभियन्ता
गोण्डा वृत्त, लो०नि०वि०
गोण्डा

AE

6/5/22

अजय सी रूगे / Ajay C Ruge
Territory Manager (Retail) Gonda
Bharat Petroleum Corporation Limited

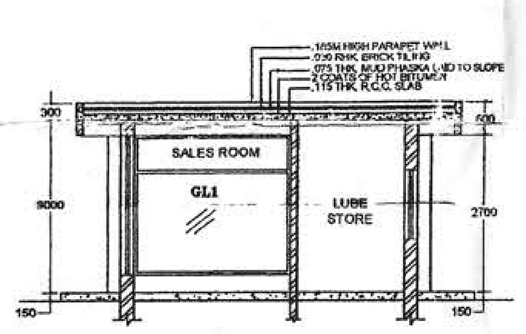

CROSS SECTION OF SALES BUILDING AT B-B

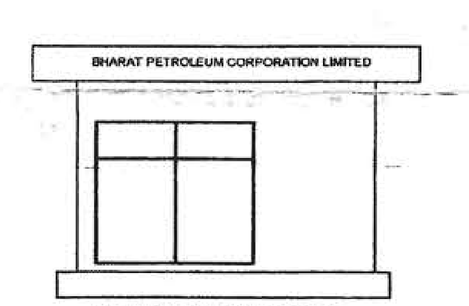

FRONT ELEVATION OF SALES BUILDING

SCALE : NTS

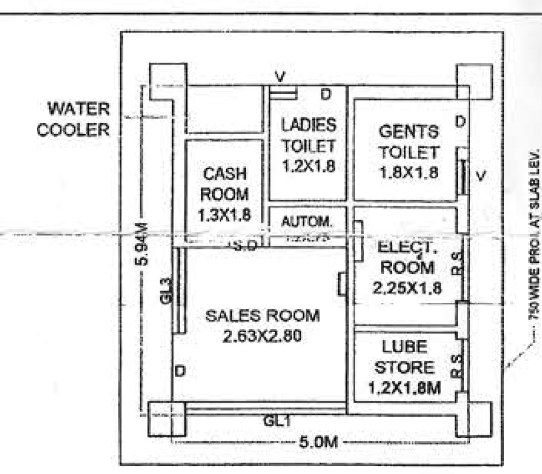

PLAN OF SALES BUILDING

SCALE : 1.100

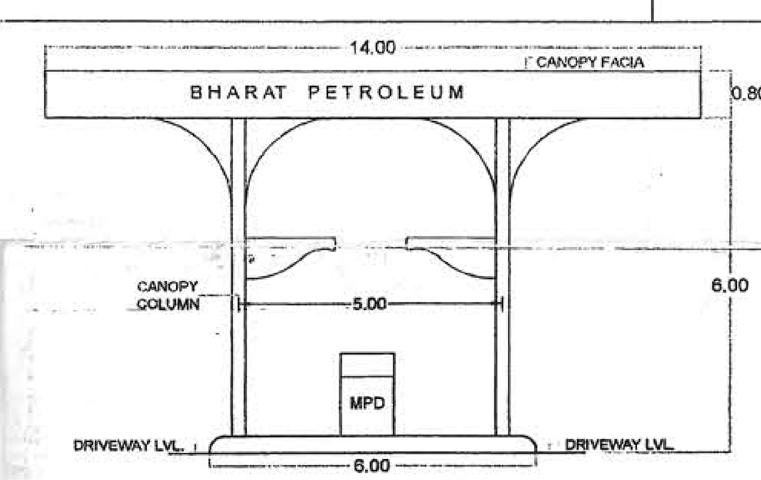

FRONT ELEVATION OF CANOPY

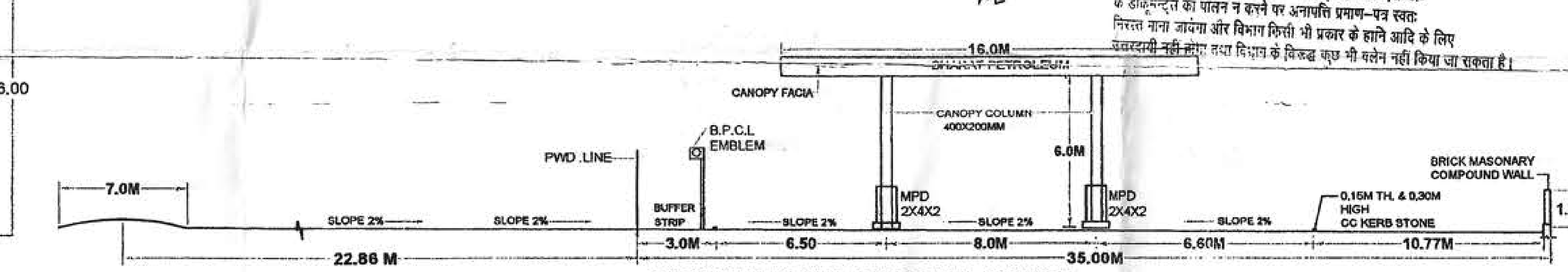

SECTIONAL ELEVATION OF FUEL STATION

SCALE :NTS

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER.
2. ALL ELECTRICAL MOTOR FITTINGS ARE FLAME PROOF AS PER CONFORMING IS:2148.
3. TANK FABRICATED WITH 6mm THICK M.S. PALATES AS PER APPROVED BY CCOE APPROVAL NO. P6(5)82, 07.08.2001.
4. THERE IS NO SUCTION LINE ARE UNDER DRIVEWAY BELLOW 0.60M.
5. THE D.P.SWITCH BOARD SHALL BE KEPT AT 1.50m HIGH FROM GROUND LEVEL, USER LOCK & KEY.
6. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS,
8. LIGHT POLES AS PER APPROVED BY CCOE VIDE LETTER NO. RI(1)110, DT. 25.08.1961.
9. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS PF RED LEAD PRIMER TO PRODUCT CORROSION.
10. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANKS ARE CONFIRMS IS: 10987-1992, AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO. G-40(SC)/P/MISC/94, DT. 24.02.1999.
11. F.E-FIRE EXTINGUISHERS PROVIDED AS PER EXPLOSIVES RULE.
12. F.B-FIRE BUCKETS PROVIDE AS PER EXPLOSIVES RULE.
13. TANKS SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG./SQ. CM FOR 2 HOURS.
14. TANK CONFORMS TO 124, 125& 131 OF THE PETROLEUM RULE 2002.
15. BACK FILLING OF EARTH SHOULD BE CARRIED OUT SIMULTANEOUSLY OUTSIDE AND INSIDE THE MASONRY WALL.
16. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLIC ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
17. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO ANY CASE IS PENDING COURT OF LAW.
18. NO ELECTRICAL LINE PASS OVER THE RETAIL OUTLET PREMISES.
19. SITE MEETS APPLICABLE I.R.C. NORMS.
20. THE DIP ROD SUPPLIED AS PER THE NORMS.
21. TANKS ARE FED BY TANK LORRY ONLY.
22. NO SEWER OR SURFACE DRAINS ARE WITHIN 6.00MTS. OF UNDERGROUND TANKS AND DU'S.
23. ONLY STEEL HOARDING WILL BE USED FOR DISPLAY COMPANY OR GOVT. MESSAGES.
24. THE SEPARATOR ISLAND AND BUFFER STRIP WILL BE TRUED WITH PROVISION OF 275MM HIGH KERBS.

TANK REFERANCES :-

1. V - 40mm DIA. AND 4.00m HIGH VENT PIPE ENDS COVERED WITH 2 LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE HAVING NOT LESS THAN 11 MESHES PER LINEAR CENTIMETER.
2. F - 75mm DIA. FILL POINT FITTED WITH AIR TIGHT THREADED BRASS CAP ASSEMBLY FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D - 50mm DIA. DIP PIPE FITTED AIR TIGHT THREADED BRASS CAP ASSEMBLY.
4. S - 50mm DIA. SUCTION PIPE LINE LAID 600mm BELOW GROUND LEVEL.

CAPACITY	TANK SIZE	PRODUCT
15 KL	2.00m Ø x 5.02m LONG	MS
20 KL	2.00m Ø x 6.75m LONG	HSD

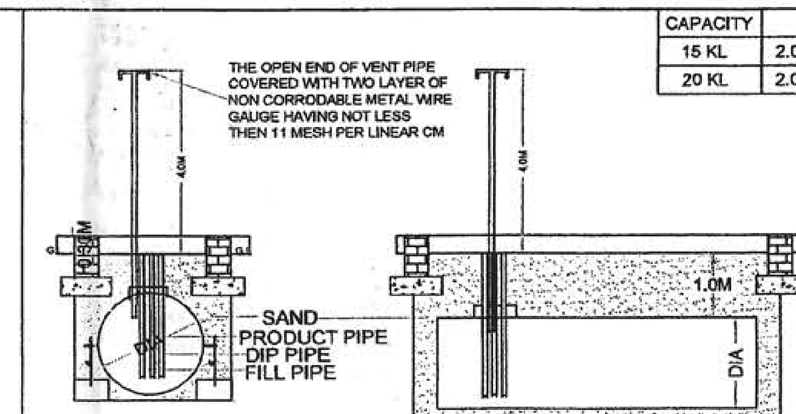

CONSTRUCTION & INSTALLATION DETAILS OF UNDER GROUND TANKS IN EARTH PIT

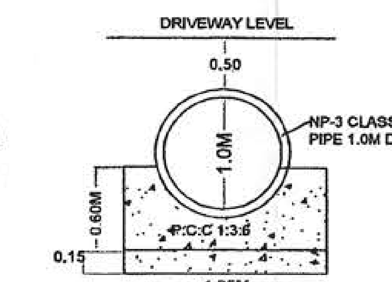

SECTION OF HUME PIPE CULVERT

(NOT TO SCALE)

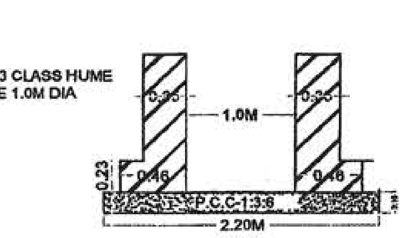

SECTION OF OPEN DRAIN

(NOT TO SCALE)

SITE INFORMATION	
GATA NO.	325
VILLAGE/LOCATION	IMILIYA BANGUSRA
POST	REHRA MAFI
TEHSIL	UTRAULA
POLICE STATION / THANA	UTRAULA
DISTRICT	BALRAMPUR
STATE	UTTAR PRADESH
NEAREST RAILWAY STN.	BALRAMPUR
PIN CODE	271 604
RO AREA	1225.00 Sqm.

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.

GONDA RETAIL TERRITORY, DISTT. - GONDA (U.P.)- 271003

SUBJECT - PROPOSED NEW RETAIL OUTLET AT-

MS CLASS 'A' AND HSD CLASS 'B' RETAIL OUTLET AT - IMILIYA BANGUSRA, ON UTRAULA - AYODHYA-PRAYAGRAJ (SH-09) ROAD DISTT. - BALRAMPUR, UTTAR PRADESH

LOCATION - IMILIYA BANGUSRA	DISTT. - BALRAMPUR (U.P.)	DATE 09/11/2021
DRAWN BY - Param Engineering Services	Checked By -	DRAWING NO.
		SCALE - 1:200

अजय सी रूगे / Ajay C Ruge, Territory Manager (Retail) Gonda, Balrampur/Imiliya/325

वरुण यादव / Varun Yadav
सहायक प्रबन्धक (रिटेल) गोण्डा
Asst. Manager Engg. (Retail) Gonda
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Bharat Petroleum Corporation Limited